Ph. 23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

ज्ञान विज्ञान विमुक्तये

No.F.1 – 7/2007 (CPP –I)

29th April, 2010

To

The Registrar
All Universities (List attached)

29 APR 2010

Sub: UGC (Affiliation of Colleges by Universities) Regulations, 2009

Sir,

I am enclosing a copy of the UGC (Affiliation of Colleges by Universities) regulations, 2009 published in the Gazette of India, 20th February, 2010 in English and Hindi विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, **2009** for your information and necessary action.

This may also be brought to the notice of colleges affiliated to the University.

Yours faithfully,

(Dr. K.P. Singh)
Joint Secretary

Encl: As above

Copy to:

1. The Education Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 001.
2. The Education Secretary, all States/UT (list attached)
3. Publication Officer, UGC, New Delhi for posting on UGC website
4. JS(SU/CU/DU/DC/RO & DS (NRCB) UGC, New Delhi
5. All Regional Offices, UGC

(V.K.Jaiswal)
Deputy Secretary

ISSUED

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002

UGC [AFFILIATION OF COLLEGES BY UNIVERSITIES] REGULATIONS, 2009

In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the UGC hereby makes the following Regulations, namely:

1. **Short Title, Application and Commencement:**

1.1 These Regulations may be called the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009.

1.2 They shall apply to all colleges seeking affiliation and already affiliated to the Universities in India established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act.

1.3 They shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions:** In these Regulations:

2.1. "affiliation" together with its grammatical variations, includes, in relation to a college, recognition of such college by, association of such college with, and admission of such college to the privileges of, a university;

2.2. "college" means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a programme of study beyond 12 years of schooling for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of the university, is recognized by the UGC as competent to provide for such programme of study and present students undergoing such programme of study for the examination for the award of such qualification;

2.3. "Commission" means the University Grants Commission established under the UGC Act;

2.4. "course" means one of the units which comprise a programme of study;

2.5. "programme" / "programme of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under Section 22(3) of the UGC Act;

2.6. "Statutory/Regulatory body" means a body so constituted by a Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), etc.;

2.7. "student" means a person admitted to and pursuing a specified programme of study;

3. Eligibility Criteria for Temporary Affiliation:

3.1. The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/ Regulatory body concerned, whichever is higher:

3.1.1. undisputed ownership and possession of land measuring not less than 2 acres if it is located in metropolitan cities, and 5 acres if it is located in other areas;

3.1.2. administrative, academic and other buildings with sufficient accommodation to meet the immediate academic and other space requirements as specified by the University concerned for each of the higher education course/programme with adequate scope for future expansion in conformity with those prescribed by the UGC / Statutory / Regulatory body concerned, taking care that all buildings constructed in the college are disabled friendly;

3.1.3. academic building sufficient to accommodate the faculties, lecture/ seminar rooms, library and laboratories with a minimum of 15 sq.ft. per student in lecture/seminar rooms/library and 20 sq.ft. per student in each of the laboratories;

3.1.4. number of teaching and non-teaching staff as per University norms;

3.1.5. adequate civic facilities for essentials like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the nouns laid down by the Central/ State PWD;

3.1.6. a library with at least 1000 books, or 100 books in different titles on each subject, whichever is more, of the proposed programmes to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other sections as may be specified by the UGC from time to time;

3.1.7. Necessary laboratory equipments *as* prescribed by the University/Statutory/Regulatory body concerned, for each of the higher education programmes;

3.1.8. a multi-purpose complex / an auditorium and facilities for sports, canteen, health care, separate common rooms and separate hostels for boys and girls as per the local requirements as decided by the University;

3.1.9. appropriate furniture for lecture/seminar rooms, laboratories, library, faculty rooms, rooms for administrative staff including the Principal, multi-purpose complex / auditor urn, common rooms and hostel rooms, and for other facilities;

3.1.10. a duly constituted managing body as specified by the University.

3.2. The college, if not run by the State Government,

3.2.1. shall be managed by a duly constituted and registered Society or

Trust;

3.2.2. shall satisfy the University that adequate financial provision is available for running the college for at least three years without any aid from any external source. In particular, it shall produce evidence of creating and maintaining a Corpus Fund permanently in the name of the college by way of irrevocable Government Securities of Rs. 15 lakh per programme, if the college proposes to conduct programme only in Arts, Science and Commerce, Rs.35 lakh per programme or as prescribed by the relevant Statutory/ Regulatory body, if it proposes to offer professional programmes, or FDRs for like amounts jointly held by the college and the University for a minimum lock in period of three years. The interest accrued out of it may be utilized by the college with the prior permission of the University for strengthening its infrastructure facilities;

3.2.3. shall also provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

3.3. The Registered Society/ Trust in justified exceptional cases may be allowed to start the college for the first year of the programmes in a readily available building, with the condition that all other academic and administrative requirements are satisfied under the Regulations and the college shall complete the buildings per para 4.4.6 and other requirements cited in the detailed project report by the end of the second year and the college is moved completely to the proposed permanent building by the beginning of the third year, failing which the college shall not be granted renewal of temporary affiliation until the college moves to the permanent buildings. Under no circumstances, extension of time for this movement to the permanent building shall be granted by the University beyond five years.

3.4. The Registered Society/ Trust proposing the college shall execute a bond:

3.4.1. to impart instruction only in the subjects and for the courses/programmes in the faculties for which affiliation has been granted by the University and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programmes shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the University,

3.4.2. to comply with all the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, Rules and Regulations of the University framed in this regard ;

3.4.3. to follow the Rules, Regulations and Guidelines of the Statutory /Regulatory bodies issued from time to time;

3.4.4. to the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and their recruitment/ promotion procedures as prescribed by the UGC and conditions of service shall be in accordance with the Statutes/Ordinance./ Regulations of the University/State Government/ UGC, and shall ensure imparting of adequate instruction to the students in the courses/programmes of studies to be undertaken by the college and that the Student-Teacher Ratio in the college shall be as per the UGC norms;

3.4.5. to the effect that the members of the teaching and non-teaching staff shall be regularly and fully paid in the pay scales along with applicable allowances as per the pay scales prescribed by the UGC/ Central/State Govt., as the case may be, from time to time;

3.4.6. to the effect that appointment of members of the teaching and the non-teaching staff shall be made only on considerations of merit

based on qualifications and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other consideration;

3.4.7. to the effect that the college shall obtain the eligibility approval of the appointed teaching staff from the University within three months of affiliation and shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfillment of the conditions for affiliation to the University within a fortnight of changes coming into effect.

3.4.8. to the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the University based on the norms of the UGC from time to time;

3.4.9. to the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its students or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the University based on the norms of the UGC;

3.4.10. to the effect that no student shall be admitted to any programme of study by the college in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the University;

3.4.11 to the effect that the college shall not, without the previous permission of the University, suspend offering an already approved course / programme of study;

3.4.12. to the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college;

3.4.13. to the effect that all registers and records, including audited statement of accounts, as required to be maintained under the Regulations / Orders of the UGC / University / Government shall be maintained and

made available as and when required for inspection;

3.4.14. to the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the UGC / University / Government may require to enable it to monitor and judge the performance of the college with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the UGC / University / Government may direct to maintain the same;

4. Procedure for granting Temporary Affiliation:

4.1. The application to start a new college and to get it affiliated to an University can be submitted by Central/ State Government institutions and Registered Society/ Trust.

4.2. If the applicant is a Society/ Trust, it shall have been registered under Registration of Societies Act, the Trusts Act or any other Act of the Central / State Government on or before the date of submission of the application.

4.3. The Government / Society/ Trust which proposes to start the college and wishes to get it affiliated to the University in whose jurisdiction the location of college falls shall make an application within the stipulated time to the University in the prescribed proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

4.4. The application shall be submitted with certified copies of the following documents:

4.4.1 Registration of the Society/Trust along with details of Constitution and Memorandum of Association;

4.4.2 Letter from the Competent Authority designated by the Government concerned for classification of land and its location as Metropolitan or other areas;

4.4.3 Land Use Certificate from the Competent Authority designated by the Government concerned;

4.4.4 Registered land/Govt. leased land documents in the name of the applicant;

4.4.5 Appropriate order from the Govt. permitting the Society/ Trust to start the college with details of the courses/ programmes intended to be offered;

4.4.6 Building Plan of the proposed college prepared by a registered Architect and approved by the Competent Authority designated by the Govt. concerned;

4.4.7 Registered documents by the registered Society/Trust earmarking land and buildings for the proposed college;

4.4.8 Details of the latest fund position along with photocopies of relevant bank accounts, including the evidence of the Corpus Fund earmarked for the purpose as specified under Clause 3.2.2.

4.4.9. Detailed Project Report giving

a) background of the Society/ Trust with reference to its experience in promoting, managing and operating educational institutions; details of its promoters including their background; its activities in the social, charitable and educational spheres since its inception and its Vision and Mission;

b) development plan for the college with timeline, spelling out its growth plan over the first 10 year period in terms of phasing of academic programmes, increase in students' intake and introduction of postgraduate programmes/ research, and the time schedule for stage-wise development of the academic infrastructure, like recruitment of faculty, and other support facilities, including student amenities, such as hostels, sports and recreational facilities

c) architectural master plan indicating the land use pattern including those for the future;

d) policy with regard to faculty recruitment, retention and development;

e) structure of academic and administrative governance;

f) sources of financing of capital and operating expenditure, besides funds to be generated through students' fees; and

g) resource projections and their utilization schedule.

4.5. The University shall make a preliminary scrutiny of the application, and if found satisfactory, issue a letter of intent, within two weeks from the date of receipt of the application by the university, to cause an inspection within a period of three months for physical verification of all

4.6. The college shall be subjected to an inspection by the University through a committee of experts nominated by the Vice chancellor consisting of:

4.6.1 One Expert for each of the subject areas proposed,

4.6.2 Dean, College Development Council, / an equivalent academician of the university,

4.6.3 a representative of the higher education department of the Government not below the rank of Deputy Director, and

4.6.4 an Engineer from the PWD/CPWD or the University not below the rank of Executive Engineer.

One of the subject experts at the level of Professor, as nominated by the Vice-Chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

4.7. The report of the inspection committee shall be submitted by the Chairperson to the University duly filled in and signed by all the members. The University shall process the report through its appropriate Bodies and decide to grant, or not to grant, temporary affiliation to the college, recording the reasons in writing for its decision within three months of inspection.

4.8. On the basis of the infrastructure and other facilities available at the college, the University shall decide the number of seats for each programme in the college.

4.9. The Syndicate/ Executive Council of the University shall be the ultimate to decide granting, or not granting, affiliation.

4.10. Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the college itself shall be granted by the University on a year to year basis through inspection process prescribed in these Regulations.

4.11. If the University decides not to grant affiliation to the college for reasons, recorded in writing, of its failure to meet the conditions/ requirements for getting affiliation, the college may apply again if it fulfils the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

5. **Eligibility Criteria for Permanent Affiliation:**

5.1. The college shall have completed at least five years of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the University/ UGC/ Statutory/Regulatory Body concerned from time to time.

5.2. The college shall have completed construction of buildings and all infrastructure/facilities as stipulated in the Regulations.

5.3. All the teaching and non-teaching staff are appointed on permanent (appointed on regular basis, in case of a Government college) on the UGC/Government scales of pay,

5.4. The college shall have a duly constituted College Council as per the norms.

6. Procedure for granting Permanent Affiliation:

6.1. A college which wishes to get permanent affiliation shall apply to the University any time after completing five years of temporary affiliation in the proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

6.2. The procedure for according permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation given in the Regulations.

6.3. If the University decides not to grant permanent affiliation to the college for reasons, to be recorded in writing, of its failure to meet the conditions/ requirements for getting such affiliation, the college may apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

7. Eligibility to apply for addition of new programmes of study:

7.1. Any proposal for adding new programmes shall be considered by the University only after ensuring equitable distribution of facilities for higher education, having due regard, in particular, to the needs of the unserved, underdeveloped, rural, hilly, tribal and backward areas within its jurisdiction.

7.2. Any proposal for raising the existing under-graduate college to post-graduate studies level shall be considered by the University only after satisfactory completion of two years of the under-graduate programme and the proposed buildings, qualified faculty and other infrastructure facilities are fully created as per the Regulations.

7.3. Each application for addition of a new programme or for upgrading the existing programme to post-graduate level shall be accompanied by the prescribed fee in the form of Demand drafts drawn in favour of the Registrar of the University.

7.4. The procedure for according temporary affiliation to additional programmes of study or for upgrading the existing programmes in the college shall be the same as prescribed under the Regulations for temporary affiliation.

8. Withdrawal of affiliation:

8.1. The privileges conferred on a college by affiliation may be withdrawn in part or in full, suspended or modified, if the college, on due enquiry, is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules and Regulations or any other direction or instruction of the UGC /University/Statutory/Regulatory body concerned, or failed to observe any of the conditions of affiliation, or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interests of the University.

8.2. If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the University, the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such ceaser, shifting or transfer, as the case may be, and it shall be treated as a new college for the purposes of future affiliation. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

8.3. Without prejudice to the Regulations, the Commission on its own, or on the basis of any complaint or any other information or report from any other source, can cause an enquiry by the University in respect of a college, and after giving the college a reasonable opportunity of being heard, may pass an order under Section (12A) (4) of the UGC Act prohibiting such college from presenting any student then undergoing such specified course / programme of study therein to an university for the award of the qualification concerned and the affiliation of the college shall stand terminated as per Section (12A) (5) of the UGC Act.

8.4. If the University decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the University, temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of issue of the order till they pass out the normal duration of programmes to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

9. **Penalties on the Universities granting affiliation to sub-standard colleges or failure of Universities / colleges to comply with the Regulations of Commission:**

9.1 If any University grants affiliation to a college which does not fulfill the conditions/ requirements for affiliation as per the Regulations, or if the University grants affiliation in contravention of the relevant provisions of the UGC Act and Regulations, the Commission may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the University and/or delisting the said University from the list of universities maintained by the Commission under Section 12B of the UGC Act.

9.2 If any college included under section 2(f) and receiving UGC Grants under section 12B is found guilty of violation of the Regulations, the Commission may take such action as it may them fit, including that of withholding the grants to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12B of the UGC Act.

R. K. CHAUHAN
Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010

विश्वविद्यालयअ अनुदान आयोग
नई दिल्ली

विश्वविद्यालय

वि0अ0आ0 (विश्विविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) ओर (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि0अ0आ0 निम्नवत् विनियम बनाता है,

नामतः

1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन तथा प्रारंभ

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वि0अ0आ0 (विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 है ।

1.2 यह सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक सभी कालेजों तथा भारत के विश्वविद्यालयों से पहले सही सम्बद्ध कालेजों पर लागू होंगे जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा निगमित किया गया हो ।

1.3 यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ।

1 परिभाषाएं : इन विनियमों में : —

2.1 "सम्बद्धता" तथा इसके व्याकरणिक रूपभेदों में किसी कालेज के संबंध में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कालेज को मान्यता प्रदान करना, उसके साथ इस प्रकार के कालेज का सहयोजन, इस प्रकार के कालेज को विश्वविद्यालय राज्य विशेषाधिकारों प्रदान करना शामिल है ।

2.2 "कालेज" का अर्थ किसी संस्थान से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो 12 वर्षों के स्कूली पाठ्यक्रम के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा

इस प्रकार का अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए और अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस प्रकार की अर्हता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षमकारी मान्यता प्रदान की गई हो।

2.3 "आयोग" का अर्थ वि0अ0आ0 अधिनियम के तहत् स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

2.4 "पाठ्यक्रम" का अर्थ है एक इकाई जिसमें एक अध्ययन कार्यक्रम शामिल होता है;

2.5 "कार्यक्रम"/"अध्ययन कार्यक्रम" का अर्थ वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत् आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है;

2.6 "सांविधिक"/"विनियामक निकाय" का अर्थ है एक निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया हो, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) आदि।

2.7 "छात्र" का अर्थ एक व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन हेतु दाखिल दिया जाता है।

3. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्डः

3.1 सम्बद्धता प्राप्त करने का इच्छुक प्रस्तावित कालेज, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अपेक्षाओं अथवा इनमें से किसी के भी संबंध में संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित अपेक्षाएं, जो भी अधिक हो, को पूरा करेगा:—

3.1.1 अविवादित स्वामित्व तथा यदि यह महानगरों में स्थित है, तो कब्जे की भूमि 2 एकड़ से कम भूमि न हो तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में यह 5 एकड़ से कम न हो।

3.1.2 प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ–साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि0अ0आ0/सांविधिक/संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।

3.1.3 संकायों, लेक्चर/संगोष्ठि कक्षों, ग्रंथागारों तथा प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त शैक्षणिक भवन होना चाहिए, जहां लेक्चर/संगोष्ठि कक्ष/ग्रंथालय में प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फुट का स्थान तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए।

3.1.4 शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

3.1.5 केन्द्र/राज्य लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं;

3.1.6 कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग–अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ–पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि0अ0आ0 द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए;

3.1.7 प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए।

3.1.8 एक बहुउद्देश्य काम्प्लेक्स/एक प्रेक्षागृह तथा खेल–कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक 'कामन रूम' तथा पृथक छात्रावास;

3.1.9 भाषण/संगोष्ठि कक्षों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालय, संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टॉफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिए और बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स/प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त फर्नीचर;

3.1.10 विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक यथोचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय।

3.2 यदि कालेज राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो, तो

3.2.1 इसका प्रबंधन यथोचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा;

3.2.2 यह विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। विशिष्ट रूप से, 15 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम की अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज के नाम पर स्थायी कायिक निधि के सृजन तथा उसके रख–रखाव का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि कालेज का प्रस्ताव केवल मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में कार्यक्रम चलाने का है तो जैसाकि संगत सांविधिक/विनियामक निकाय में विहित है अथवा 35 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम, यदि इसका पेशेवर कार्यक्रम की पेशकश करने का विचार है तो इसी राशि की न्यूनतम तीन वर्षों की 'लॉक इन' अवधि की सावधि जमा जो कालेज तथा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए, करवायी जानी चाहिए। इससे प्राप्त ब्याज का कालेज द्वारा अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं

को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से उपयोग किया जा सकता है;

3.2.3 कालेज विश्वविद्यालय को एक वचन भी देगा कि इसके पास सतत् और कार्यकुशल ढंग से कार्य करने के लिए इसके अपने स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय है।

3.3 पंजीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत् पूरा किया गया है तथा कालेज पैरा 4.4.6 तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक कालेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर कालेज की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कालेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

3.4 किसी कालेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा:—

3.4.1 केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 अधिनियम के सभी उपबंधों, परिनियम तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

3.4.3 समय–समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।

3.4.4 इस प्रभाव तक कि वि0अ0आ0 द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि0अ0आ0 के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरूप होगी तथा कालेज द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठयक्रम/कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा कालेज में छात्र–शिक्षक अनुपात वि0अ0आ0 मानदण्डों के अनुसार होगा;

3.4.5 इस प्रभाव तक कि शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ को नियमित रूप से वि0अ0आ0/केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा;

3.4.6 इस प्रभाव तक कि शिक्षण व गैर शिक्षा स्टॉफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

3.4.7 इस प्रभाव तक कि कालेज को सम्बद्धन प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टॉफ में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धन प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।

3.4.8 इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय–समय पर वि0अ0आ0 के मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।

3.4.9 इस प्रभाव तक कि कालेज, वि0अ0आ0 द्वारा मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक द्वारा तथा उनकी ओर से कोई

4

प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो।

3.4.10 इस प्रभाव तक कि कोई भी कालेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

3.4.11 इस प्रभाव तक कि कालेज विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा।

3.4.12 इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर कालेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

3.4.13 इस प्रभाव तक कि वि0अ0आ0/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा विनियामकों/आदेशों के तहत् रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा;

3.4.14 इस प्रभाव तक कि कालेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि0अ0आ0/विश्वविद्यालयों/सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के संबंध में कालेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु वि0अ0आ0/विश्वविद्यालय/सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि0अ0आ0/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निदेश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

4. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

4.1 नए कालेज को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान तथा पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.2 यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत् या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के तहत् आवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।

4.3 सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका कालेज आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में कालेज पड़ता है वह विनिर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालय के कुल–सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।

4.4 आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:–

4.4.1 सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;

4.4.2 भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र;

4.4.3 संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र;

4.4.4 आवेदक के नाम में पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;

4.4.5 सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिए सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का ब्यौरा।

5

4.4.6 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;

4.4.7 प्रस्तावित कालेज के लिए पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;

4.4.8 खंड 3.2.2 के तहत् यथा विनिर्दिष्ट चिन्हित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंक खातों की ब्यौरा।

4.4.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत् ब्यौरा दिया गया हो:–

(क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा; इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;

(ख) समय–वार कालेज की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों/अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं, जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल हैं, के विकास के लिए स्तर–वार समय अनुसूची।

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;

(घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;

(ङ) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और

(छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग अनुसूची।

4.5 विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।

4.6 कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय कालेज का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् शामिल होंगे:—

4.6.1 प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;

4.6.2 कालेज विकास परिषद् का डीन/विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;

4.6.3 सरकार के उच्च शिक्षा विकास का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और

4.6.4 लोनिवि/केलोनिवि से एक अभियन्ता जोकि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो।

कुलपति द्वारा यथा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जोकि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

4.7 अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट विधिवत् रूप से भर कर तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने उचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा कालेज को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा; तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

4.8 कालेज में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय कालेज में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।

4.9 सिंडिकेट/विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने या न किए जाने के बारे में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

4.10 कालेज के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

4.11. यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह संम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि बाद में कालेज शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

5. स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

5.1 कालेज को समय—समय पर विश्वविद्यालय/वि0अ0आ0/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

5.2 कालेज द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्मक/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

5.3 सभी शैक्षणिक तथा गैर—शैक्षणिक स्टॉफ को वि0अ0आ0/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

5.4 कालेज में मानदण्डों के अनुसार विधिवत् रूप से गठित कालेज परिषद् होनी चाहिए।

6. स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

6.1 जो कालेज स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्ररूप में आवेदन करना चाहिए।

6.2 स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।

6.3 यदि विश्वविद्यालय कालेज को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि कालेज शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो कालेज पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से छह माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

7. अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता

7.1 विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेषरूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया हैं, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के बाद ही किया जाएगा।

7.2 मौजूदा स्नातकपूर्व कालेज के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकपूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के बाद तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय

तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

7.3 नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा मौजूदा कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।

7.4 अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा कालेज में मौजूदा कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रकिया के समान ही होगी।

8. **सम्बद्धता समाप्त करना**

8.1 यदि जांच करने पर कालेज, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा वि0अ0आ0 / विश्वविद्यालय / सांविधिक / संबंधित विनियामक निकाय के अन्य निदेशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से कालेज को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें आशोधन किया जा सकता है।

8.2 यदि कोई सम्बद्ध कालेज करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो कालेज को प्रदत्त सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण पर हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया कालेज माना जाएगा।

विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विर्निदिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा (12 क) (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।

8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत् थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्त्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

9. **घटिया कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा आयोग के विनियमों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों/कालेजों के असफलता होने पर शास्तियां**

9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को संम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तो/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या अगर विश्वविद्यालय, वि0अ0आ0 अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद

8

करना तथा/ अथवा आयोग द्वारा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत् अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है ।

9.2 यदि कोई कालेज जिसे धारा 12 (च) के तहत् शामिल किया गया हो और जो वि0अ0आ0 की धारा 12 (ख) के तहत् अनुदान प्राप्त कर रहा हो, उसे विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो, जिसमें कालेज को दिए जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा / अथवा आयोग द्वारा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2 (च) और /तथा (ख) के तहत् कालेजों की सूची से उक्त कालेज का नाम हटाना शामिल है ।

(आर0 के0 चौहान)
सचिव